FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकद्दमा ______ नं. ______ सन् ______

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/8/24	तहसीलदार डूंगला से वाद पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने से पत्रावली स्थगित से तलब की गई। वकील वादी उपस्थित वकील वादी को रिपोर्ट के सम्बन्ध में सुना गया। वकील वादी ने कथन किया कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि प्रकाश पिता पूर्णाशंकर के बजाय ओम प्रकाश पिता पूर्णाशंकर ब्राह्मण राजस्व रेकार्ड में अंकन करने की डिक्री का आदेश जारी किया जावे। इस पर पत्रावली का व तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन कर परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त पाया गया कि मौजा नंगावली के राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में वादी का नाम ओम प्रकाश पिता पूर्णाशंकर ब्राह्मण दर्ज रेकार्ड है जबकि वादी के नाम अन्य खाते की आराजी नम्बर 2312/1092 में प्रकाश पिता पूर्णाशंकर अंकित है। वादी के अन्य दस्तावेजों में भी ओम प्रकाश पिता पूर्णाशंकर अंकित है। राजस्व रेकार्ड में एवं अ[illegible] में भिन्नता होने से [illegible] है। अतः वादी का [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा मौजा नंगावली के [illegible] संख्या 468 नकल जमाबन्दी सम्वत 2077 में वर्तमान समय में दर्ज प्रकाश पिता पूर्णाशंकर	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.11 16:51:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के बजाय ओम प्रकाश पिता पूर्णाशंकर ब्राह्मण सा. देह दर्ज किये जाने की चाही गयी है। तथा इसी अनुसार वहीमत संशोधन की जावे। निर्णय रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब होकर संलग्न पत्रावली हो। 12/08/24 उपखण्ड अधिकारी डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.09.11 16:51:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner